न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–464 सन् 2015

मीरा कुंअर.....वादिनी।

बनाम

बच्चालाल सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 04.08.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19.05.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 05 चंद्रीका सिंह की मृत्यु दिनांक 02.05.2021 को हो गया है लेकिन उनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित होना न्यायाहित में आवश्यक है। वाद चलने के दरम्यान प्रतिवादी सं0 06 राधव गिरी की मृत्यु दिनांक 03.01.2021 को हो गई है लेकिन उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित होना न्यायहित में आवश्यक है। वाद चलने के दरमयान प्रतिवादी सं0 13 गोरख सिंह वल्द स्व0 केश्वर महतो की मृत्यु वर्ष 2021 में हो गई है लेकिन उनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम प्रतिस्थापित होना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 14 देव नारायण सिंह की मृत्यु काफी पूर्व हो चुकी है जिनका वर्ष याद नहीं है लेकिन इस वाद में उनके वारिसान का नाम पूर्व से ही दर्ज है इसलिए प्रतिवादी सं0 14 देव नारायण सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर दिया जाए। प्रतिवादी सं0 16 जवाहर गिरी की मृत्यु वर्ष 1984 में हो गई है जिनकी बिना शादी विवाह के ही मृत्यु हो गई है इनकी कोई संतान नहीं है। इसलिए प्रतिवादी सं0 16 जवाहर गिरी का नाम वादपत्र से कलमजद करना आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 17 कपिल गिरी की मृत्यु वर्ष 1982 में हो गई है लेकिन उनके वारिसान का नाम इस वाद में प्रतिस्थापित करना न्यायहीत में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 05, 06, 13, 14, 16 एवं 17 के वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 05, 06, 13, 14, 16 एवं 17 के मृत्यु के पश्चात उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है, जिनमें प्रतिवादी सं0 प्रतिवादी सं0 14 देवनारायण सिंह के कानूनी वारिसान पूर्व से ही उक्त वाद में प्रतिस्थापित हैं एवं प्रतिवादी सं0 16 जवाहर गिरी नावल्द मर गए हैं इसलिए मृत्यु के पश्चात् उनका नाम वादपत्र से कलमजद करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी की ओर से उक्त आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया हैं। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से पूर्व में इस आशय का आवेदन दिनांक 25.10.2021 को दाखिल किया गया है परंतु न्यायालय द्वारा वादी का आवेदन नियमानुकूल नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। वादी पुनः उक्त मृत प्रतिवादीगण का नाम वादपत्र से कलमजद करने हेतु दाखिल किया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 19.05.2023 को 1000/—रूपये खर्चा के साथ न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।